भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2986

जिसका उत्तर 20 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयला धारक क्षेत्र

2986. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए एक विशेष अधिकरण का गठन किया है अथवा करने का विचार है ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित रांची और गोड्डा में दो अंशकालिक अधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में प्रचालनरत हैं। वर्तमान में, कोयला मंत्रालय के पास कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए विशेष अधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****